Not Press
कलावती

19/12/024

आज पत्रावली वादीया कलावती के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पेश हुई। वादीया व वकील वादीया उपस्थित। वादीया ने निवेदन किया कि उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती हैं अतः उक्त वाद Not Press के खारिज कर दिया जावे, जिस पर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये। अतः वादीया का वाद Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फिलहाल दुमार हो कर नम्बर से कम हो, बाद रिकमीस जाया जाकर केस मण्डार हो। फैसला आज दिनांक 19/12/024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

19/12/2024
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर-तिजारा)

Not Pres
कल्लावटी

19/12/024

आज फरियादी प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से गैरहाजिर होकर पेश हुई। आज इस प्रकरण से संबंधित इस बाद प्रार्थिया के निवेदन पर Not Press में स्वीकृत किया जाता है इसलिए अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा, इसलिए प्रा०पत्र 212 RTA नामंजूर Press में स्वीकृत किया जाता है। फरियादी फैसला सुनाए होकर जाबता से बरी हो। प्रार्थना पत्र सलग्न इस बाद रहे।

19/12/2024
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)